वार्षिक प्रतिवेदन
2010-11

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन

नौवीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-वस्तु

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	2010-11	
1.	प्रस्तावना	1 - 9
2.	प्रमुख गतिविधियां/कार्यकलाप	10 - 16
3.	वित्तीय स्थिति	17 - 17
4.	अनुबंध	18 - 26

1
अध्याय

प्रस्तावना

भारत सरकार ने बाबू जगजीवन राम द्वारा राष्ट्र और समाज के प्रति किए गए अप्रतिम योगदान को मान्यता देते हुए उनकी विचारधारा और जीवन दर्शन तथा मिशन को आगे बढ़ाने, एक जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करने के उनके दृष्टिकोण को आगे ले जाने, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने तथा दलित, शोषित और कमजोर वर्ग के लोगों, जिन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में सम्मानित जीवन जीने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए सतत संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रूपए के कायिक निधि के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में "बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान" की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस प्रकार सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 14 मार्च, 2008 के पंजीकरण सं. एस/61519/2008 द्वारा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का पंजीकरण हुआ जिसके निम्नलिखित संस्थापक सदस्य थेः

1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	सदस्य सचिव
7.	श्री आर.एल. भगत	सदस्य और कोषाध्यक्ष
8.	श्री एस. आनंद बाबू	सदस्य
9.	श्री बी.एल. मंडेलिया	सदस्य
10.	श्री महेन्द्र सिंह	सदस्य
11.	श्री एम कुप्पुसामी	सदस्य
12.	श्री ए.आर. संथालिया	सदस्य

13.	श्री राम रत्तन	सदस्य
14.	श्री रूप चंद	सदस्य
15.	श्री परिमल आर. सोलंकी	सदस्य

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के उद्देश्यः

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की स्थापना बाबूजी की विचारधारा और उनके जीवन-दर्शन तथा मिशन को आगे बढ़ाने, एक जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करने के उनके दृष्टिकोण को आगे ले जाने, अस्पृश्यता उन्मूलन करने और दलित, शोषित और कमजोर वर्ग के लोगों जिन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में सम्मानित जीवन जीने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए सतत संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।

फाउंडेशन के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैंः-

1. बाबू जगजीवन राम से संबंधित व्यक्तिगत कागजात एवं अन्य ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह, अर्जन, रख-रखाव और संरक्षण करना।
2. बाबू जगजीवन राम के जीवन और कार्य से संबंधित अध्ययन और शोध कार्य को प्रोत्साहित करना और इसे बढ़ावा देना तथा सभी सामाजिक पक्षपात से लड़ने के लिए सूचना का प्रसार करना।
3. फाउंडेशन के उद्देश्यों के अनुसरण में पुस्तकें, पत्रिकाएं, वृत-चित्र फिल्म, दस्तावेज, पर्चे और सूचना को प्रकाशित करना।
4. बाबू जगजीवन राम से संबंधित स्थानों को अधिगृहित करने उनका परिरक्षण और उनकी सुरक्षा करना और स्मारक बनाना।
5. वर्षगांठ और पुण्य तिथि पर प्रतिवर्ष समारोहों का आयोजन और बाबू जगजीवन राम के जीवन की अन्य गतिविधियों के उपलक्ष्य में दिल्ली और सम्पूर्ण भारत में समारोह का आयोजन।
6. बाबू जगजीवन राम के लेखन और भाषण से संबंधित योजनाओं को अपनाकर उन्हें कार्यान्वित करना और फीचर फिल्मों की प्रस्तुति।
7. अनुसूचित जाति समुदाय के कलाकार जिन्हें मुखरित होने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है, उन्हें बढ़ावा देकर प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके आदर्श और उनकी स्मृति का प्रचार-प्रसार करना।
8. समाज के अन्य कमजोर वर्गो के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित विकास योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।
9. समाज में प्रवृत्ति विषयक परिवर्तन लाने के लिए अस्पृश्यता और जाति-आधारित पक्षपात के उन्मूलन हेतु विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपी गई विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों को शुरू करना और उन्हें कार्यान्वित करना।
10. अनुसूचित जातियों से संबंधित समसामयिक विषयों पर ऐसे स्थानों और ऐसे समय में सम्मेलन, सेमिनार आदि आयोजित किया जाना जैसा कि निर्धारित किया जाए।
11. जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति अधिकारिता को बढ़ावा देना और समर्थन देना।

12. अनुसूचित जातियों के विकास को बढ़ावा देने वाले संगठनों की सहायता करना।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का संगठनात्मक ढांचा

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(i) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री/बाबू जगजीवन राम फाउण्डेशन के अध्यक्ष द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि, लेखा और लेखापरीक्षा, बैकिंग, उद्योग, कला, संगीत और फिल्म आदि जैसे विभिन्न संकाय से बाबू जगजीवन राम के आदर्श को आगे बढ़ाने में रूचि रखने वाले व्यक्तियों में से 3 वर्ष की समयावधि के लिए नामित 31 सदस्य। समाज के सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से भी व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है। सदस्यों के ऊपरलिखित वर्गों में से कम से कम पांच महिलाएं होंगी।

(ii) बाबू जगजीवन राम के परिवार से या परिवार के सदस्यों द्वारा बहुमत द्वारा नामित कम से कम एक व्यक्ति होगा और वह पुरूष अथवा महिला शासी निकाय का सदस्य भी होगा/होगी। नामिती के विकल्प के संबंध में बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों का निर्णय अंतिम होगा और इसे प्रभाव किया जाएगा। बाबू जगजीवन राम के पारिवारिक सदस्यों में उनकी पुत्री, दामाद, नाती, नतिनी और उनके पति/पत्नियां आते हैं। बाबू जगजीवन राम के परिवार ने श्री वी.एन. डालमिया को अपने नामिती के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है। श्री वी.एन. डालमिया बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं।

(iii) कोई व्यक्ति जिसे सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वह फाउंडेशन के साधारण निकाय और फाउंडेशन की शासी निकाय का पदेन सदस्य भी होगा।

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी

वर्ष 2010-11 के दौरान, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी सदस्यों में कोई परिवर्द्धन या कमी नहीं हुई है।

निम्नलिखित बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की जनरल बॉडी के सदस्य हैं:

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष

2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	10, दरियागंज, दिल्ली-110002	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष
6.	श्री आर.एल. भगत	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स, मुनिरका, नई दिल्ली-110067	14.3.2008
7.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2, वीरसामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	14.3.2008
8.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202, हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	14.3.2008
9.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	14.3.2008

10.	श्री राम रतन	ग्राम शमशाबाद, पलवल, हरियाणा	14.3.2008
11.	श्री रूप चंद	ए-1/412/13, नंद नगरी, दिल्ली।	14.3.2008
12.	श्री परिमल सोलंकी	5, नवीनदचंद्र पार्क, शाहीबाग, अहमदाबाद	14.3.2008
13.	श्री बी.एल. मंडेलिया	निर्भय भवन, पडाउ, ग्वालियर (एमपी)	14.3.2008
14.	श्री ए.आर. संथालिया	23/24, राधा बाजार स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता-1	14.3.2008
15.	श्रीमती राज रानी पूनम, एमएलए	41, लतीफ गार्डन, पानीपत (हरियाणा)	08.4.2008
16.	श्री ए.एन. पाठक, आईपीएस	13, न्यू एमएलए कॉलोनी, जवाहर चौक, भोपाल-3 (मध्य प्रदेश)	08.4.2008
17.	श्री राकेश खन्ना	ए2/21, आजाद अपार्टमेंट्स, श्री अरविन्दो मार्ग, हौज खास, आईआईटी गेट, नई दिल्ली	08.4.2008
18.	श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट	196, गुलमोहर एन्कलेव, नई दिल्ली-49	08.4.2008
19.	डॉ. कौशलेन्द्र कुमार सिंह	सुमित्रा सदन, सुमित्रा देवी पथ, साउथ मंदिरी, बेली रोड, पटना-1, बिहार	11.4.2008

20.	डॉ. ओ.पी. मौर्य	क्वा. नं. 82, सेक्टर-3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	17.11.2008
21.	श्री राम प्यारे राम	बी-4/89, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	03.12.2008
22.	श्री रंजन कुमार सिंह	हाउस नं. 1402, त्रिशुल अपार्टमेंट्स, कोशाम्बी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	03.12.2008
23.	डॉ. यू.एस. अवस्थी, एमडी, आईएफएफसीओ	आईएफएफसीओ सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017	03.12.2008
24.	श्रीमती नवरेखा शर्मा	ए-109, एफएफ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-65	03.12.2008
25.	सुश्री अभिलाषा सिंघवी	बी-8, साऊथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-48	03.12.2008
26.	प्रो. टी.वाई. भूथैय्या	डोर नं. 196, 14 क्रॉस, 1 मेन "पार्वती निलय", जयानगर, मैसूर-570014, कर्नाटक	03.12.2008
27.	डॉ. शांता भार्गव	123, सुन्दर नगर, नई दिल्ली	03.12.2008
28.	प्रिंसिपल जाफर अली खान	प्लॉट नं. 415, शाहजादा बाग, फेज-1, इंद्रलोक, दिल्ली-35	03.12.2008

29.	श्री सर्वेन्द्र के. वर्मा, एडवोकेट	जगत नारायण रोड, कदम कुआँ, पटना-3	24.12.2008
30.	श्रीमती ममता भूपेश, एमएलए	23, इंदिरा कॉलोनी, आगरा रोड, दौसा (राजस्थान)	26.2.2009
31.	फादर निर्मल डेविड	चर्च ऑफ रिडेमप्शन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	26.2.2009
32.	सुश्री शोभना नारायण	डी-II/301 पंडारा रोड, नई दिल्ली	26.2.2009
33.	उस्ताद इकबाल खान	1595, सुईवालान, मौसीकी मंजिल, दरियागंज, दिल्ली-110002	26.2.2009
34.	डॉ. एल. हनुमंथैय्या, पूर्व एमएलसी	207ए, थर्ड डी. क्रॉस, सेकेन्ड ब्लॉक, थर्ड स्टेज, बसावेसवरानगर, बंगलोर-79	26.2.2009

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का शासी निकाय

प्रतिष्ठान का शासी निकाय निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बना हैं:

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष हैं।

(ख) कार्यकारी उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की नियमावली और विनियमावली के अनुच्छेद 3 के 3.1 के उपखण्ड (छः) के अनुसार बाबू जगजीवन राम के परिवार के सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) सदस्य सचिव जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठान की ओर से अनुबंध के आधार पर प्रतिष्ठान के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वे शासी निकाय के पदेन सदस्य होंगे।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहाकर, शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (एससीडी), शासी निकाय के पदेन सदस्य हैं।

(छ) जनरल बॉडी के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष, शासी निकाय के सदस्य हैं।

(ज) जनरल बॉडी के सदस्यों में से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य तीन वर्ष की समयावधि तक शासी निकाय के सदस्य रहेंगे।

शासी निकाय के निम्नलिखित सदस्य हैंः-

क्र.सं.	नाम	पता	नियुक्ति की तारीख
1.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (एससीडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	पदेन सदस्य
5.	श्री वी.एन. डालमिया	10, दरियागंज, दिल्ली-110002	परिवार द्वारा मनोनीत कार्यकारी उपाध्यक्ष

6.	श्री आर.एल. भगत	ब्लॉक एफ-1, नं. एफ, एमआईजी डीडीए फ्लैट्स मुनीरका, नई दिल्ली-110067	सदस्य सचिव
7.	श्री एस. आनंद बाबू	सी-202, हिडेन ट्रीजर अपार्टमेंट, अयप्पा टेम्पल लेन, राज भवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500082	सदस्य
8.	श्री महेन्द्र सिंह, आईएएस (सेवानिवृत)	5जे-2ए, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य
9.	श्री एम. कुप्पुसामी	33/2 वीरसामी पिल्लई स्ट्रीट, सेवन वेल्स नॉर्थ, चेन्नई-600001 (तमिलनाडु)	सदस्य
10.	श्री आर. पी. राम	बी-4/89, पश्चिम विहार, नई दिल्ली।	कोषाध्यक्ष

कार्यालय परिसर

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का कार्यालय नौंवां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

2
अध्याय

प्रमुख कार्यकलाप 2010-2011

वर्षगांठ समारोह, 5 अप्रैल, 2010

1. श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक समारोह राजघाट के सामने समता स्थल पर 5 अप्रैल, 2010 को आयोजित किया गया था। राष्ट्र ने बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस समारोह में महामहिम भारत के उपराष्ट्रपति, मोहम्मद हामिद अंसारी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, श्री मुकुल वासनिक, लोक सभा में विपक्ष की नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज, दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित तथा मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों, सासंदों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने भाग लिया।

महामहिम भारत के उपराष्ट्रपति, मो. हामिद अंसारी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार लोक सभा में विपक्ष की नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज, दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित 5 अप्रैल, 2010 को समता स्थल, नई दिल्ली में बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

2. 5 अप्रैल 2010 को 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी के सरकारी आवास पर एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई जिसमें सभी धर्मो के धार्मिक ग्रंथो से मंत्रोच्चार किए गए तथा संगीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। इसमें बहुत से सुप्रसिद्ध गणमान्य लोग और बाबूजी के अनुयायी उपस्थित थे।

6 कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली में सर्वधर्म प्रार्थना सभा, 5 अप्रैल, 2010

3. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की पहल पर लोक सभा ने संसद भवन के मुख्य भवन में स्थित बाबूजी की प्रतिमा पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए समारोह का आयोजन किया। लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के नेतृत्व में संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों ने संसद में बाबूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबूजी के परिवार के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भी बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित की।

4. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के सहयोग से समता सम्वर्धक संघ द्वारा दिल्ली में एक विशाल शोभा-यात्रा का भी आयोजन किया गया जिसमें बाबूजी के जीवन, उनकी उपलब्धियों और क्रियाकलापों को दर्शाया गया था।

इस शोभा यात्रा का आरंभ माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा लाल किले से झंडी दिखाकर किया गया तथा यह चांदनी चौक, खारीबावली, जी.बी. रोड, दरियागंज, दिल्ली गेट से गुजरती हुई दिल्ली गेट के निकट समता स्थल पर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में बाबूजी के अनुयायियों ने जुलूस में भाग लिया।

5. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने बाबूजी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तीसरे स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। "वर्ग और जाति से परे आर्थिक विकास" शीर्षक पर यह व्याख्यान 5 अप्रैल, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, श्री मुकुल वासनिक विशिष्ट अतिथि थे। माननीय मंत्री श्री फारूक अब्दुल्ला और माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री डी. नेपोलियन ने भी समारोह में भाग लिया।

माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी, 5 अप्रैल, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में तृतीय बाबू जगजीवन राम स्मारक व्याख्यान देते हुए।

पुण्यतिथि समारोह

1. बाबूजी की 24वीं पुण्यतिथि पर 6 जुलाई 2010 को विभिन्न समारोह आयोजित किए गए। समता स्थल पर प्रातःकाल में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील, माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज,

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री डी. नेपोलियन, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा अन्य अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बाबूजी को नई दिल्ली स्थित उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा, बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और बाबूजी के अनुयायियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील, माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री/अध्यक्ष बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान श्री मुकुल वासनिक बाबू जगजीवन रामजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें 6 जुलाई, 2010 को समता स्थल, नई दिल्ली में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए।

2. भारत के पूर्व उप-प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन रामजी के शासकीय निवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली, जहां उन्होंने तीन से भी अधिक दशकों तक निवास किया था, में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों, परिवार के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बाबूजी के अनेक अनुयायियों ने भाग लिया।

3. एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा 7 जुलाई, 2010 को चंदवा, आरा, बिहार में स्थित बाबूजी की समाधि पर भी आयोजित की गई। इसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री देवानन्द कुंवर, नागालैंड के राज्यपाल श्री निखिल कुमार तथा माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने भाग लिया। बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वी.एन. डालमिया ने भी समारोह में भाग लिया। इनके अलावा, समूचे बिहार राज्य से सभी वर्गों के हजारों लोगों ने बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समारोह में शामिल हुए। इस समारोह के पश्चात जरूरतमंद और निर्धन लोगों को भोजन के पैकेट बांटे गए।

बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री देवानन्द कुंवर, माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वी.एन. डालमिया 7 जुलाई, 2010 को चंदवा, आरा, बिहार में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

नागालैंड के राज्यपाल महामहिम श्री निखिल कुमार, माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार तथा बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वी.एन. डालमिया 7 जुलाई, 2010 को चंदवा, आरा, बिहार में बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

अन्य क्रियाकलाप

1. बाबूजी के सक्रिय नेतृत्व में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का स्मरणोत्सव मनाने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से 16 दिसम्बर, 2010 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सम्मेलन कक्ष में "बाबू जगजीवन राम और भारत में अंतर्विष्ट समाज" विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली द्वारा किया गया। श्री टी. एन. चतुर्वेदी, अध्यक्ष आईआईपीए, श्री वी.एन. डालमिया, कार्यकारी उपाध्यक्ष (बीजेआरएनएफ), श्री के. एम. आचार्य, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी जनसमूह को संबोधित किया। समापन सत्र की अध्यक्षता श्री टी.के. विश्वानाथन, महासचिव, लोक सभा द्वारा की गई। प्रो. उपेन्द्र बक्शी, पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अनेक अन्य वक्ताओं ने भी जनसमूह को संबोधित किया। श्री आर.एल. भगत, सदस्य सचिव (बीजेआरएनएफ) ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

माननीय मंत्री श्री एम. वीरप्पा मोइली, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2010 को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए।

2. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के सहयोग से रविदास अकादमी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा 17 फरवरी, 2011 को "काशी और गुरू रविदास की संवेदनाओं से अनुप्राणित बाबू जगजीवन रामजी का दलित चिंतन" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार इस समारोह की मुख्य अतिथि थीं। प्रो. पंजाब सिंह, पूर्व कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पूर्व-महानिदेशक, भारतीय कृषि

वाराणसी में 17 फरवरी, 2011 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार मुख्य अतिथि के रूप में तथा साथ में हैं प्रो. पंजाब सिंह, पूर्व कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रो. न्वांग समतेन, कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय।

अनुसंधान परिषद ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रो. न्वांग समतेन, कुलपति, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय ने मुख्य संबोधन भाषण दिया।

3. विधि विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ने बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के सहयोग से 5 मार्च, 2011 को बाबूजी की स्मृति में "भारत में श्रमिक क्षेत्र की समस्या-बाबू जगजीवन राम की भूमिका" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। माननीय न्यायमूर्ति पी.वी. रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग समारोह के मुख्य अतिथि तथा मो. अनीस अंसारी, कुलपति, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविघालय, लखनऊ विशिष्ट अतिथि थे। प्रो. बी. हनुमय्या, कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ ने समारोह की अध्यक्षता की।

4. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव किया है जो मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैः
   (i) बाबू जगजीवन राम निर्भय भवन केन्द्र योजना
   (ii) अनुसूचित जाति से संबंधित अत्याचारों के पीड़ितो के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय राहत योजना
   (iii) बाबू जगजीवन राम पीठ योजना

5. चंदवा, आरा (भोजपुर) में बाबूजी की आदमकद मूर्ति की स्थापना का कार्य अंतिम अवस्था पर है।

6. दिल्ली गेट में स्थित बाबू जगजीवन राम की समाधि 'समता स्थल' के विकास की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। तथा समाधि परिसर का विकास कार्य आरंभ हो चुका है।

7. मेसर्स टंडन ब्रिज एण्ड कंपनी को वर्ष 2010-11 के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

3

अध्याय

वित्तीय स्थिति 2010-2011

बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति निधि/सहायतानुदान के उपचित ब्याज से तथा सावधि जमाओं पर ब्याज की राशि के पुनः निवेश से करता है।

31 मार्च, 2011 के अनुसार प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति इस प्रकार हैः-

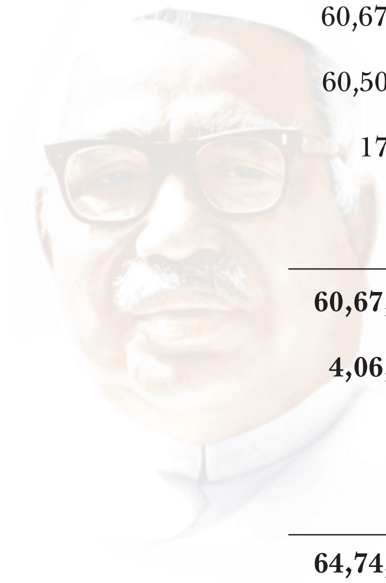

1 अप्रैल 2010 को अर्थ शेष	60,67,99,560/- रूपए
एफडीआर में	60,50,00,000/- रुपए
बचत बैंक खाते में	17,47,669/- रुपए
हाथ में रोकड़	51,891/- रुपए
कुल अर्थ शेष	**60,67,99,560/- रुपए**
एफडीआर पर ब्याज	**4,06,08,148/- रुपए**
प्राप्त चन्दा	**501/- रुपए**
बचत बैंक खाते का ब्याज	**48,674/- रुपए**
कुल	**64,74,56,883/- रुपए**
वर्ष के दौरान कुल भुगतान/व्यय	**68,94,386/- रुपए**
31 मार्च, 2011 को इति शेष	**64,05,62,493/- रुपए**
एफडीआर में	63,75,00,000/- रुपए
बचत बैंक खाते में	30,35,153/- रुपए
हाथ में रोकड़	27,344/- रुपए
कुल	**64,05,62,497/- रुपए**

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के लेखापरीक्षित लेखे अनुबन्ध - एक में दिए गए हैं।

अनुबंध 1

टंडन बृज एण्ड कं. **कार्यालयः 23622220, 23520976**
चार्टर्ड अकाउंटेंट

फार्म सं. 10ख
(नियम 17ख देखें)

दातव्य अथवा धार्मिक न्यासी/पंजीकृत सोसाइटी या संस्था के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क(ख) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार "बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान" के तुलन पत्र तथा उस दिन को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की जांच की है, जो उक्त संघ द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है। हमने यह समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में जहां तक बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, संघ द्वारा लेखाओं की समुचित बहियों का रख-रखाव किया गया है, जिनका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया तथा समुचित रिटर्न निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्याधीन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है। हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखा निम्न के बारे में एक वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैंः-

(एक) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार उक्त नाम में संघ के तुलन-पत्र और कार्यों की स्थिति के संबंध में तथा

(दो) 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए लेखांकन वर्ष के लिए लाभ के आय और वयय लेखा के संबंध में। विनिर्दिष्ट विवरण इसके साथ संलग्न है।

टंडन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से
एफ.आर. संख्या 0067एन

ह./-
बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम. सं. 8140
पैनः एएसीपीटी 8125बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून 2011

टंडन बृज एण्ड कं. अनुक्रम शीट सं.

अनुबंध
ब्यौरे का विवरण
दातव्य या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का अनुप्रयोग

1.	वर्ष के दौरान भारत में दातव्य अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष प्रयुक्त आय की राशि	:	68,94,386/- रुपए
2.	क्या संघ ने धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, यदि हाँ तो क्या पूर्व वर्ष के दौरान भारत में दातव्य अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है।	:	नहीं
3.	दातव्य अथवा धार्मिक प्रयोजन के लिए लागू उस सीमा तक संचित अथवा अलग रखी गई आय की राशि, जो उस आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है जो संघ द्वारा केवल भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए पूर्णतः धारित संपत्ति से निकाली गई है।	:	शून्य
4.	धारा 11(1)(ङ) के अंतर्गत छूट के लिए पात्र आय की राशिः	:	संपूर्ण आय अर्थात 4,12,58,155/- रुपए
5.	ऊपर मद 3 में निर्दिष्ट राशि के अतिरिक्त आय की राशि, धारा 11(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संचित अथवा अलग रखी गई	:	3,00,00,000/- रुपए
6.	क्या ऊपर मद 5 में उल्लिखित आय की राशि धारा 11(2)(ख) में निर्धारित रीति से निदेश या जमा की गई है, यदि हाँ तो उसके विवरण दें।	:	हाँ, अनुसूचित बैंक में सावधि जमा में रखी गई
7.	क्या उस आय का कोई भाग जिसके संबंध में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अंतर्गत विकल्प लिया गया था, पूर्व में धारा 11(ख) के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष की आय माना गया है यदि हाँ, तो उसके विवरण दें	:	लागू नहीं
8.	क्या पिछले वर्ष के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए संचित या अलग रखा गया आय का कोई भागः		
	(क) दातव्य या धार्मिक प्रयोजन से इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है या उससे अनुप्रयोग के लिए संचित या अलग रखा जाना समाप्त किया गया है, या	:	नहीं
	(ख) धारा 11(2)(ख)(1) में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में निर्वचित रहना समाप्त हो गया है या धारा 11(2)(ख)(ii) या धारा 11(2)(ख)(iii) में निर्दिष्ट किसी राशि में जमा किया गया है, या	:	नहीं
	(ग) उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए वह वर्ष के दौरान संचित या अलग रखा गया था जिसके लिए वह उसकी समाप्ति के तत्काल पश्चात पड़ने वाले वर्ष में संचित या अलग रखा गया था या यदि हां तो विवरण दें	:	नहीं
(I)	धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से संपत्ति की आय का अनुप्रयोग या प्रयोग	:	शून्य
(II)	ऐसी संस्थाओं में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित निवेश जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त रुचि रखता है।	:	शून्य

टंडन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

कार्यालयः 23622220, 23520976

फार्म सं. 10खख
(नियम 16गग देखें)

धारा 10(23ग) उपखंड(iv) उपखंड (v) उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(एक) हमने मेसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (निधि या न्यास या संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम) के इस फार्म के साथ संलग्न 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा अथवा लाभ और हानि की जांच की है।

(दो) हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा शून्य में स्थित मुख्यालय तथा शून्य शाखाओं में अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप है।

(तीन) निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीनः

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में जहां एक लेखा बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है उक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या कोई अन्य विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के प्रधान कार्यालय या शाखाओं द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां रखी गई है।

(ग) हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी में और हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार उन पर की गई टिप्पणियों के साथ पठेत उक्त लेखे निम्न के बारे में एक वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

(i) 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार उक्त नाम की निधि या न्यास या संस्था या संस्था का कोई अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के कार्यों के तुलन-पत्र के संबंध में तथा

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय और व्यय लेखा के संबंध में।

विनिर्दिष्ट विवरण इसके साथ संलग्न है।

टंडन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से
एफ.आर. सं. 0067एन

ह./-
बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम. सं. 8140
पैनः एससीपीटीर 8125 बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून 2011

टंडन बृज एण्ड कं. **अनुक्रम शीट सं.**

अनुबंध
ब्यौरे का विवरण
भाग क-सामान्य

1.	निधि अथवा न्यास अथवा संस्था अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था का नाम	:	बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
2.	पता	:	कमरा सं. 7, 9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली
3.	स्थायी खाता संख्या	:	एएएएबी6869एम
4.	मूल्यांकन वर्ष	:	2010-2011
5.	धारा 10(23ग) का उपखंड जिसके अंतर्गत निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था छूट मांग रही है।	:	
6.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की अधिसूचना/अनुमोदन की संख्या और तारीख	:	

भाग ख-दातव्य या धार्मिक या शैक्षणिक या लोकपरोपकारी प्रयोजनों के लिए आय का अनुप्रयोग

7.	दातव्य/धार्मिक/शैक्षणिक/लोकपरोपकारी क्रियाकलाप की प्रकृति (जैसा कि धारा 10(23ग) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vik) में निर्दिष्ट किया गया है)	:	दातव्य न्यास
8.	निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय	:	4,12,58,155/- रुपए
9.	पूर्ववर्ती वर्ष की आय की राशि जो उन उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई है जिसके लिए यह स्थापित किया गया है।	:	68,94,386/- रुपए
10.	पूर्ववर्ती वर्ष की आय जिसे पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों के लिए संचित किया गया है, जिसके लिए यह स्थापित किया गया है जो उस सीमा तक है जिससे यह उस वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है।	:	शून्य

11.	आय की राशि, वर्ष की आय से 15 प्रतिशत अधिक, जो धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खण्ड (क) के अनुरूप संचित की गई है।	:	3,00,00,000/- रुपए
12.	(क) क्या, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, आय का कोई भाग, किसी पूर्व वर्ष में संचित आय से 15 प्रतिशत अधिक नहीं, उन प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया था, जिसके लिए यह स्थापित किया गया था अथवा उसके अनुप्रयोग के लिए संचित किया जाना समाप्त कर दिया गया?	:	लागू नहीं
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो इस प्रकार प्रयुक्त अथवा संचित किए जाने के लिए रोकी गई आय के विवरण दें।	:	
13.	(क) क्या, पर्वूवर्ती वर्ष के दौरान, आय के 15% से अधिक वाली किसी पूर्व आय का कोई भाग, जो उस वर्ष धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खण्ड (क) के अनुरूप संचित की गई है, उन प्रयोजनों के अलावा प्रयुक्त की गई है, जिनके लिए यह स्थापित किया गया है अथवा उसके अनुप्रयोग के लिए संचित किया जाना रोका गया है?	:	लागू नहीं
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो इस प्रकार प्रयुक्त अथवा संचित किए जाने के लिए रोकी गई आय के विवरण दें।		
14.	(क) क्या, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, आय के 15% से अधिक वाली किसी पूर्व आय का कोई भाग, जो उस वर्ष धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खण्ड (क) के अनुरूप संचित की गई है, उन प्रयोजनों के अलावा उपयोग नहीं की गई है जिनके लिए यह वर्ष के दौरान संचित की गई थी/जिनके लिए यह संचित की जानी थी?	:	लागू नहीं
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो इस प्रकार उपयोग न की गई आय की राशि की मात्रा के साथ उसके विवरण दें।		

भाग ग - अन्य जानकारी

15.	(क) क्या कोई निधि, धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों या स्वैच्छिक अंशदानों के अलावा, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रूपों और रीतियों के अलावा किसी अवधि के लिए निवेश अथवा निक्षेप की गई थी।	:	शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो निम्न के अनुसार विवरण दीजिए:		

क्रमांक	निवेश या निक्षेप की प्रकृति	निवेशित या निक्षेपित राशि	निवेश या निक्षेप की राशि

16.	कार्य के लाभ और उपलब्धि के परिणामस्वरूप किसी आय के संदर्भ में-	:	

	(क) क्या, ऐसे कार्य के संबंध में पृथक लेखा बहियां अनुरक्षित की गई हैं?	:	नहीं
	(ख) क्या ऐसे कार्य के संबंध में लेखा की पृथक बहियां अनुरक्षित की गई हैं?	:	नहीं
	(ग) यदि उपर्युक्त (क) और/अथवा (ख) का उत्तर 'नहीं' है तो ऐसी आय की मात्रा बताएं	:	ब्याज की आय
17.	(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को संचित आय के किसी भाग का भुगतान या क्रेडिट किया गया था?		शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो इस प्रकार भुगतान या क्रेडिट की गई राशि की मात्रा के साथ उसके विवरण दें।	:	
18.	(क) क्या कोई स्वैक्षिक अंशदान, नकद में स्वैक्षिक योगदान या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वैच्छिक योगदान, उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें ऐसा स्वैक्षिक अंशदान प्राप्त हुआ था, की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात धारा 11 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी रूप या रीतियों के अलावा, में धारित किया गया था?		शून्य
	(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे स्वैच्छिक योगदान की राशि के साथ उसके विवरण दें।	:	
19.	(क) क्या धारा 115खखग में निर्दिष्ट कोई अनाम चंदा वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है? (टिप्पणी 2 और 3 देखें) (ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे अनाम चंदे की राशि बताएं	:	शून्य

टंउन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से
एफ.आर. सं. 0067एन

ह./-

बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम.सं. 8140
पैनः एएसीपीटी 8125बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून, 2011

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

देयताएं		राशि	परिसंपत्तियां	राशि
पूंजीगत लेख			**नियत परिसंपत्तियां**	
कोष की निधि	50,00,00,000.00		फर्नीचर और जुड़नार	5,29,904.00
संस्थापना निधि	4,00,00,000.00		अलमारी	38,565.00
बाबू जगजीवन राम नव चेतना स्कीम			एयर कंडीशनर	1,57,086.00
अथ शेष	65400000		कंप्यूटर	97,600.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान	30000000		फैक्स मशीन	43,600.00
		9,54,00,000.00	इंवर्टर	22,500.00
लाभ एवं हानि खाता			मोबाइल फोन	16,700.00
अथ शेष	1883377		लैपटॉप	50,138.00
जोड़ें: पी.एंड एल खाते से अंतरित	4548541		लक्ष्मी गणेश मूर्ति	11,110.00
		64,31,918.00	एलसीडी	76,500.00
			वाटर डिस्पेंसर	7,500.00
			एच.पी. कंप्यूटर प्रिंटर सहित	53,500.00
			अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा	63,75,00,000.00
चालू देयताएं			**चालू परिसंपत्तियां**	
विविध लेनदार (सूची के अनुसार)		4,01,244.00	ऋण और अग्रिम (टीडीएस)	6,00,832.00
लेखापरीक्षा शुल्क संदेय		25,000.00	हाथ में रोकड़	27,344.00
टीडीएस संदाय		9,870.00	बैंक खाते	30,35,153.00
		64,22,68,032.00		64,22,68,032.00

टंउन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से
एफ.आर. सं. 0067एन

ह./-
बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम.सं. 8140
पैनः एएसीपीटी 8125बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून, 2011

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

व्यय	राशि	आय	राशि
वेतन और मानदेय	10,59,152.00	चंदा प्राप्तियाँ	501.00
लेखापरीक्षा शुल्क	25,000.00	एफडीआर पर ब्याज	4,12,08,980.00
विज्ञापन	14,85,272.00	प्राप्त ब्याज	48,674.00
वर्षगांठ व्यय (बाबूजी)	16,68,309.00		
बैंक प्रभारों	1,646.00		
दातव्य कार्यों	66,535.99		
परिवहन भत्ते	10,401.00		
मनोरंजन व्यय	43,810.00		
चोरी द्वारा नुकसान	14,590.00		
विविध व्ययों	40,971.00		
कार्यालय नवीनकरण व्ययों	3,62,997.00		
प्रकाशनों	2,61,764.00		
मानदेय	13,000.00		
आईओबी ऋण पर ब्याज	22,320.00		
बैठक शुल्क	9,160.00		
कार्यालय अनुरक्षण व्ययों	82,526.00		
डाक और कुरियर व्ययों	1,34,459.00		
मुद्रण स्टेशनरी	3,08,580.00		
समाधि अनुरक्षण व्ययों	1,43,307.00		
संगोष्ठि और सम्मेलन व्ययों	5,25,720.00		
कर्मचारी कल्याण व्ययों	23,158.00		
टैक्सी किराए के प्रभारों	2,31,701.00		
टेलीफोन व्यय	54,282.00		
दौरे और यात्रा व्यय	1,13,954.00		
टीडीएस रिटर्न व्यय	7,000.00		
बाबू जगजीवन राम नव चेतना स्कीम	3,00,00,000.00		
आय के अधिक व्यय	45,48,541.00		
	4,12,58,155.00		**4,12,58,155.00**

टंउन बृज की ओर से
एफ.आर. सं. 0067एन

ह./-
बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम.सं. 8140
पैनः एएसीपीटी 8125बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून, 2011

टण्डन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकांउटेंट्स

दूरभाषः 23622220, 23520976

मैसर्स बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान
31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां		**राशि**	**भुगतान**		**राशि**
बैंक अथ शेष			विज्ञापन		14,85,272.00
नकद	51,891.00		वार्षिक समारोह व्यय		15,78,309.00
बैंक	17,47,669.00		लेखापरीक्षा शुल्क		25,000.00
एफडीआर	60,50,00,000.00		मानदेय		13,000.00
		60,67,99,560.00	वाटर कूलर		7,500.00
एफडीआर पर ब्याज		4,06,08,148.00	यात्रा भत्ता		10,401.00
प्राप्त चंदे		501.00	बैंक प्रभार		1,646.00
प्राप्त ब्याज		48,674.00	मनोरंजन व्यय		43,810.00
			ब्याज व्यय		22,320.00
			बैठक शुल्क		9,160.00
			कार्यालय अनुरक्षण व्यय		82,526.00
			कर्मचारी कल्याण व्यय		23,158.00
			डाक और कुरियर व्यय		1,34,459.00
			मुद्रण स्टेशनरी		3,08,580.00
			वेतन और मानदेय		10,27,652.00
			समाधि अनुरक्षण व्यय		1,43,307.00
			टेलीफोन व्यय		54,282.00
			दौरे और यात्रा व्यय		1,13,954.00
			फर्नीचर और जुड़नार		1,96,875.00
			संगोष्ठि और सम्मेलन व्यय		4,44,003.00
			टैक्सी किराया प्रभार		2,31,701.00
			कंप्यूटर		53,500.00
			फैक्स मशीन		25,000.00
			मोबाइल फोन		16,700.00
			लैप टॉप		50,138.00
			लक्ष्मी गणेश मूर्ति		11,110.00
			एलसीडी		76,500.00
			दातव्य कार्य		66,535.00
			विधि व्यय		7,000.00
			विविध व्यय		40,971.00
			कार्यालय नवीनकरण		3,62,997.00
			प्रकाशन		2,27,020.00
			अंत शेष		
			नकदी	27,344.00	
			बैंक	30,35,153.00	
			एफडीआर	63,75,00,000.00	
					64,05,62,497.00
		64,74,56,883.00			64,74,56,883.00

टंउन बृज एण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से
एफ.आर. सं. 0067एन

ह./-

बी.बी. टंडन
एफ.सी.ए.
एम.सं. 8140
पैनः एएसीपीटी 8125बी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 जून, 2011